BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
MA No.14 of 2026
IN
ORIGINAL APPLICATION NO 1267 OF 2024

IN THE MATTER OF:
KULDEEP DHAMA .... APPLICANT
Versus
STATE OF UP & Ors. .... Respondents

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Affidavit on Compliance on behalf of Uttar Pradesh pollution Control Board	1-4
2.	**ANNEXURE-1** True copy of the letter dated 06.04.2026	5
3.	**ANNEXURE-2** True copy of the letter dated 16.12.0025	6-7
4.	**ANNEXURE-3**True copy of the letter dated 10.03.2025	8
5.	**ANNEXURE-4**True copy of the minutes of meeting of the Committee	9
6.	**ANNEXURE-5**True copy of the minutes of District Environment Committee dated 30.03.2026	10-17
7.	**Vakalatnama**	18

NEW DELHI
DATED: 16.04.2026
16.04.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY N.K GILL Advocate Reg. No. GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MA No. 14 of 2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1267 of 2024

IN THE MATTER OF:

KULDEEP DHAMA .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

AFFIDAVIT OF COMPLIANCE ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

NOTARY N.K GILL Advocate Reg. No. 4329/05 GOVT. OF INDIA

I, Rajendra Prasad, S/o. late Shri Vishnu Ram, aged about 58 years, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut, U.P. at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case and has been authorized my Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, hence am competent to swear this affidavit.

2. That in the abovenoted case has been disposed of vide judgment and order dated 06.11.2025 by this Hon'ble Tribunal.

3. That in the judgment certain directions have been given to the U.P. Pollution Control Board.

4. That for compliance of Para 39 of the judgment, the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board has issued directions to the Director, Geology and Mining, Directorate, Lucknow to comply with the directions in all the districts in Uttar Pradesh where mining projects are going on. A true copy of the said letter dated 06.04.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

5. That the State Government through Director, Geology and Mining, U.P. Lucknow has also issued directions to all the District Magistrates for compliance of the order dated 06.11.2025 passed by this Hon'ble Tribunal. A true copy of the letter dated 16.12.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

6. That Respondent No. 6 has deposited amount of Environmental Compensation of Rs. 4,63,563/- on 20.11.2025 through Online Environmental Compensation Payment Portal of U.P. Pollution Control Board.

7. That for utilization of compensation amount the District Magistrate vide order dated 10.03.2026 has constituted a committee of the following officers;

(a) Divisional Director, Social Forestry Division, Baghpat.

(b) Additional District Magistrate (F/ R), Baghpat.

(c) District Mines Officers, Geology and Mining Department, Baghpat.

(d) Assistant Environmental Engineer, U.P. Pollution Control Board, Meerut.

True copy of the order dated 10.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.

8. That the said Committee has proposed that between Village Mavikalan to Village Alipur on the Bandh which is parallel to Yamuna River, plantation be done and for this purpose in the area of 5 kilometers land was found to be available. It was decided that in ensuing monsoon plantation be done through Social Forestry Division, Baghpat. True copy of Minutes of Meeting of the said committee is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.

9. That the said proposal was placed before District Environment Committee in its meeting held on 30.03.2026 and the said Committee has also approved the said proposal. True copy of the said Minutes of District Environment Committee dated 30.03.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5**.

The above report is being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Meerut on this the 10th day of April, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true,

no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
N.K. GIRI
Advocate
Reg. No. 3222/05
GOVT. OF INDIA

ATTESTED NOTARY
N.K. GIRI
Advocate, Meerut
Reg. No.-3222/05

662.

UPPCB-[illegible]ISC/10165/2025-CIR3-UPPCB

Annexure-1

I/537181/2026

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H39706/सी–3/NGT-45/26 दिनांकः 06/4/2026

सेवा में, मा.एन.जी.टी.प्रकरण/महत्वपूर्ण

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

विषयः मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1267/2024, कुलदीप धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1267/2024, कुलदीप धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

".....39. In the facts and circumstances of the case the respondent no. 1- State of U.P. through Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh and respondent no. 2- Director, Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh and respondent no. 5-Member Secretary, UPPCB are directed to look into/verify implementation of the Monitoring System for Sustainable Sand Mining of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (at pages no. 64 to 66 thereof) and Monitoring Mechanism of the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (pages 48 to 63 thereof) and implementation of the directions given by Hon'ble Supreme Court and also by this Tribunal particularly the directions given by this Tribunal in O.A. no. 360/2015 titled National Green Tribunal Bar Association Vs. Virender Singh (State of Gujarat) vide order dated 26.02.2021 and ensure (i) implementation of appropriate measures for monitoring of transportation of mineral from mining area to end-user, such as essential security features, check posts, CCTV camera, GPS tracking etc., and for regular surveillance of the sand mining reaches and constitution of district level task force for this purpose, as outlined in Chapter 7 and 9 respectively, of the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 and (ii) appropriate mechanism for taking strict punitive action against the persons and vehicles involved in illegal mining in the area under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and directions issued by this Tribunal vide order dated 26.02.2021 in O.A. no. 360/2015 titled National Green Tribunal Bar Association Vs. Virender Singh (State of Gujarat) in terms of penalty and environmental compensation....."

अतः उपरोक्तानुसार मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 में दिये गये आदेशों/निर्देशों का समस्त जनपदों में संचालित खनन परियोजनाओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

NOTARY GOVT. OF INDIA

भवदीय

Digitally signed by Sanjeev Kumar Singh
Date: 06-04-2026 18:06:50

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

o/c

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्र0), वृत्त–6, नोडल खनन।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्र0), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

Annexure-2

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः ——— / एम0–एन0जी0टी–वाद / बागपत / 2024 दिनांकः 16· दिसम्बर, 2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1267 वर्ष 2024 कुलदीप धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1267 वर्ष 2024 कुलदीप धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 06.11.2025 **(छायाप्रति–संलग्न)** पारित किये गये है। उक्त पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में निम्न बिन्दुओं पर जनपद स्तर से निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार अवैध खनन / परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु Digital Technology यथा रिमोट सेंसिंग, drones/night vision drones आदि का प्रयोग करते हुए प्रभावी Surveillance, Enforcement करना।
2. प्रत्येक खनन पट्टा क्षेत्र की वर्ष में कम से कम 03 बार निरन्तर अन्तराल पर जांच / निरीक्षण किया जाना– पट्टा अवधि की 25% अवधि की समाप्ति पर, पट्टा अवधि की 50% अवधि की समाप्ति पर व पट्टा अवधि के समाप्ति के 06 माह पूर्व।
3. ओवरसाइट समिति, उ0प्र0 की दिनांक 08.01.2021 द्वारा की गई अनुसंशाओं (Recommendations) (प्रति–संलग्न) पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जानाः–
   - **a)** Physical inspection before advertisement be ensured so that mineable reserve is verified.
   - **b)** Areas where only few leases are operative and the rest are not settled/surrendered need to be carefully analyzed. There could be a chance of cartel formation and mining of sand illegally from other vacant mining plots under the garb of the operative lease.
   - **c)** Geo-fencing of sites, their physical demarcation, allotment of geo-coordinates to all the pillars and their constant physical inspection and electronic surveillance is a must to ensure that the mining activity is as per the approved mining plan and no illegal mining, detrimental to environment, is going on.
   - **d)** There has to be a mechanism to ensure that the actual mining activity conforms to the approved Mining Plan and the approved Environment Management Plan (EMP).

e) There has to be an effective mechanism for restoration of environment in case of its degradation due to mining.

f) All the mining activity should strictly comply with Provisions of EIA Notification 2006, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016; The Environmental Protection Act, 1986; The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Regulations of Central Ground Water Authority.

4. खनिजों का चोरी से अवैध खनन कर राज्य सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना।

5. Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के पृष्ठ संख्या–64 से 66 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। (प्रति–संलग्न)

6. Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के पृष्ठ संख्या–48 से 63 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। (प्रति–संलग्न)

7. खनन क्षेत्र में खनन कार्य पूर्व/पट्टा प्रारम्भ व खनन कार्य/पट्टा समाप्ति के तत्काल पश्चात् high-resolution satellite images/drone image अनुरक्षित रखना व उस आधार पर खनन की गई मात्रा का आंकलन व मिलान आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं व पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 का अक्षरशः अनुपालन कड़ाई से करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि। ई-मेल के माध्यम से।

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

संख्याः 2019 /एम0–एन0जी0टी–वाद/बागपत/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2. अपर निदेशक (प्रशासन), भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के अनुपालन का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

16/12/25

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

Annexure-3

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत

पत्रांक–2006 /G-191/2026 दिनांक– 10.03.26

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–06/11/2025 के अंश निम्नवत हैं–

"..... 41. The Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Director, Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, UPPCB are directed to file point wise compliance reports in this regard within three months from the date of receipt of a copy of this order.

42. The District Magistrate, Baghpat is directed to recover EC amount of Rs. 4,63,563/- from respondent no. 6 in accordance with law and deposit the same with UPPCB for its utilization for protection and improvement of environment in accordance with action plan to be prepared by UPPCB in consultation with the District Environment Committee and in accordance with the directions issued by this Tribunal.

43. The District Magistrate, Baghpat is also directed to file compliance report in this regard within three months from the date of receipt of a copy of this order...."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री धर्मीचंद शर्मा, निदेशक, स्मार्ट मोटर्स प्रा0लि0 के विरूद्व अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपया 463563/– को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Online Environmental Compensation Portal में दिनांक–20/11/2025 को जमा किये जाने की सूचना प्राप्त है, जिसकी सूचना मा0 अधिकरण में दिनांक–20/01/2026 को दाखिल किया जा चुका है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 इन डिस्पोज्ड केस नं0 14/2026 इन ओ0ए0 1267/2024 में पारित आदेश दिनांक–19/02/2026 द्वारा उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई हेतु दिनांक–15/04/2026 नियत किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–1267/2024 में पारित आदेश दिनांक–06/11/2025 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जिला पर्यावरणीय समिति के सलाह पर पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिये यूटीलाइजेशन किये जाने हेतु एक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु पारित आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों की टीम का गठन किया जाता है–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बागपत।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), बागपत।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागपत।
4. सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

उपरोक्त गठित टीम को आदेशित किया जाता है कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के विरूद्व अधिरोपित एवं जमा की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपया 463563/– को जिला पर्यावरण समिति की सलाह पर पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिये यूटीलाइजेशन किये जाने हेतु एक्शन प्लान एक सप्ताह में तैयार कर तत्काल क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

NOTARY ★ VIGNI ... (stamp)

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी, बागपत

प्रतिलिपि–

1. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, सामाजिक वानिकी प्रभाग/जिला पर्यावरण समिति, बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. गठित टीम के अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, बागपत

O/C

Annexure-4

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक–06/11/2025 के अनुपालन हेतु कार्ययोजना।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–06/11/2025 के अंश निम्नवत हैं–

"..... 41. The Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Director, Mines and Geology, Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, UPPCB are directed to file point wise compliance reports in this regard within three months from the date of receipt of a copy of this order.

42. The District Magistrate, Baghpat is directed to recover EC amount of Rs. 4,63,563/- from respondent no. 6 in accordance with law and deposit the same with UPPCB for its utilization for protection and improvement of environment in accordance with action plan to be prepared by UPPCB in consultation with the District Environment Committee and in accordance with the directions issued by this Tribunal.

43. The District Magistrate, Baghpat is also directed to file compliance report in this regard within three months from the date of receipt of a copy of this order...."

उक्त आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदया, बागपत के आदेश संख्या–2006/जी–191/2026 दिनांक–10/03/2026 के माध्यम से एक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु टीम का गठन किया गया है।

मा0 अधिकरण द्वारा आदेश के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 4,63,563/– उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Online Environmental Compensation Portal में दिनांक–20/11/2025 को जमा किया गया है तथा वस्तुस्थिति से मा0अधिकरण को रिपोर्ट दिनांक–20/01/2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा उक्त धनराशि को पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार में व्यय किये जाने के दृष्टिगत स्थलीय अवलोकन किया गया। परियोजना स्थल यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र में होने के कारण परियोजना स्थल पर कोई भी कार्य प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं पाया गया। स्थल पर मै0स्मार्ट मार्ट स्टोर्स प्रा0लि0 की खनन परियोजना जून 2024 में समाप्त हो चुकी है।

ग्राम मवीकलां से ग्राम अलीपुर के मध्य यमुना नदी के समानांतर तटबंध रोड के किनारे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वृक्षारोपण कराया जाना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। उक्त कार्य हेतु परियोजना स्थल के 05कि0मी0 के परिक्षेत्र में तटबंध के किनारे ग्राम सुभानपुर के आसपास सार्वजनिक भूमि उपलब्ध पायी गयी है।

उक्त स्थल पर उपयुक्त प्रजाति का चयन/वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव तथा सुरक्षा के दृष्टिगत प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य आगामी मानसून सत्र में सामाजिक वानिकी प्रभाग, बागपत के माध्यम से किया जाना उचित होगा। उक्तानुसार प्रस्ताव जिला पर्यावरण समिति के समक्ष अनुमति/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

सहा0पर्या0अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।	खनन अधिकारी, बागपत	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बागपत	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बागपत

NOTARY GOVT. OF INDIA

Annexure-5 667

जिलाधिकारी महोदया, बागपत की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति /पर्यावरण समिति/जिला गंगा समिति की दिनांक 30.03.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

जिलाधिकारी, महोदया बागपत की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति/पर्यावरण समिति/जिला गंगा समिति की दिनांक 30.03.2026 अपरान्हः 12:30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार कक्ष में आगामी वृक्षारोपण वर्ष 2026–27 हेतु जनपद बागपत को कुल 1247287 का विभागवार पौधारोपण लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष स्थल चयन कर अग्रिम मृदा कार्य (गडड़ा खुदान) की सूचना तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा मूल्यांकन हेतु वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में अन्य विभागों द्वारा रोपित वृक्षों का स्थलवार वृक्षारोपण की सूचना एवं जनपद में पर्यावरण संरक्षण करने हेतु तथा जिला गंगा प्लान की कार्ययोजना तैयार करने के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

(अ) वृक्षारोपण :–

बैठक में सर्वप्रथम, वृक्षारोपण वर्ष 2026–27 हेतु जनपद बागपत को कुल 1247287 का विभागवार पौधारोपण लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष स्थल चयन कर अग्रिम मृदा कार्य (गडड़ा खुदान) की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया के पत्रांक 1349/29–1 दिनांक 07.02.2026 के माध्यम से चाही गयी सूचना के सापेक्ष अभी तक सूचना उपलब्ध न कराने पर समस्त विभागों को शीघ्र–अतिशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यदायी विभाग– समस्त विभाग जिला वृक्षारोपण समिति सदस्य)

NOTARY GOVT. OF INDIA

प्रारूप–1 (स्थल चयन)

क्र0 सं0	विभाग/संस्था का नाम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत का नाम	न्याय पंचायतका नाम	तहसीलका नाम	विकास खण्ड् का नाम	चिन्हित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0	प्रास्थिति खसरा/खतौन/गाटा सं0	जी0पी0एस0 लोकेशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप–2 (अग्रिम मृदा कार्य)

क0सं0	विभाग का नाम	स्थल का नाम (सडक किनारे, मियावाकी, आदि)	ब्लॉक का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	खोदे गये गड्ढों की संख्या	वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या– प्रो0–735/5–2, दिनांक 20.02.2026, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक–प्रो0–287/5–2 दिनांक 05.02.2026, जिलाधिकारी महोदया, बागपत के पत्रांक 1545/29–1 दिनांक 03.03.2026 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत का पत्रांक 1443/29–1 के माध्यम से वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में अन्य विभागों द्वारा रोपित वृक्षों का स्थलवार विवरण वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा मूल्यांकन हेतु वृक्षारोपण का स्थलवार विवरण उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा सूचना उपलब्ध न कराने वाले विभागों को 02 कार्य दिवसों में कार्यालय प्रभागीया वनाधिकारी, बागपत को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।

वर्ष	विभाग का नाम	तहसील का नाम	वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षे0 हे0 में	रोपित किये गये पौधो की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2020—21						
2021—22						
2022—23						

(कार्यदायी विभाग— राजस्व विभाग, आवास विकास विभाग, गृह विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग)

3. वृक्षारोपण महा अभियान वर्ष 2025—26 में जनपद बागपत को शासन द्वारा आवंटित लक्ष्य 1490900 के सापेक्ष कुल 1502990 का रोपण किया गया है। वृक्षारोपण वर्ष 2025—26 में कराये गये वृक्षारोपण की जीवितता सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख तक सी0एम0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु दिये गये तथा निर्धारित प्रपत्र में सूचना कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग में उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी विभागों को निर्देशित किया गया ।

(कार्यदायी विभाग— समस्त विभाग जिला वृक्षारोपण समिति सदस्य)

4. रिट याचिका संख्या—2548 / एम0बी / 1978 उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग बनाम कमलजीत सिंह व अन्य मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2017 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया द्वारा उप जिलाधिकारी, बागपत को शत प्रतिशत अमलदरामद कराने हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यदायी विभागः— उप जिलाधिकारी, बागपत, बडौत एवं खेकडा।

NOTARY GOVT. OF INDIA

(ब) जिला पर्यावरण समिति

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, बागपत द्वारा सर्वप्रथम विगत माह फरवरी, 2026 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के संदर्भ में चर्चा की गयी। चर्चा में प्रभागीय वनाधिकारी बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि विगत माह की अनुपालन आख्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ, नगर पालिका खेकडा, बागपत, बड़ोत, व नगर पंचायत टटीरी, दोघट, रटोल, अमीनगर सराई और टिकरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, नगर पंचायत छपरोली द्वारा फरवरी माह की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

I. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका/नगर पंचायत से प्राप्त ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ से प्राप्त ई-वेस्ट प्रबंधन की सूचनाएं www.upecp.in पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी हैं।

II. जनपद बागपत में वायु की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु करायी जा रही कार्यवाई के संबंध में, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बागपत में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये 4 एंटी स्माग गन व 8 वॉटर स्प्रिंगकलर द्वारा धूल-कणों को नियंत्रित किया जा रहा है। फरवरी माह में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 23 उद्योगों का भौतिक निरीक्षण किया गया।

III. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा समिति सदस्यों को अवगत कराया कि पुरा महादेव मंदिर में आयोजित शिवरात्रि मेले के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का पूर्णतः उपयोग करते हुए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया गया। इस पहल के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया गया तथा पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण (Recycling) को बढ़ावा दिया गया।

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को पूर्णतः "शून्य अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला" (Zero Waste) कार्यक्रम के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित हुआ तथा जनसामान्य में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ।

2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बागपत में DJ, लाउडस्पीकर व गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न के अनियंत्रित एवं अत्यधिक उपयोग के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या बन चुका है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से पालन आवश्यक है। विशेष रूप से रात्रि 10:00 बजे के बाद DJ एवं लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जाये।

जिलाधिकारी/अध्यक्षा द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ, यातायात विभाग, बागपत व पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा DJ, लाउडस्पीकर एवं प्रेशर हॉर्न के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ, यातायात विभाग, बागपत व पुलिस विभाग)

3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में बढ़ते तापमान एवं बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रत्येक वर्ष हीट वेव (लू) की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो पर्यावरण, जनस्वास्थ्य एवं वन संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। हीट वेव की स्थिति में तापमान सामान्य से अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे— हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान एवं गंभीर मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। विशेष रूप से बच्चे, वृद्ध एवं श्रमिक वर्ग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

670 जिलाधिकारी/अध्यक्षा द्वारा समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत, बागपत व विकास प्राधिकरण, बागपत को निर्देशित किया कि जनपद में हीट वेव (लू) बचाव हेतु, पेयजल की व्यवस्था, लू बचाव केंद्र व केंद्रों में पानी, बिजली कूलर, कुर्सी गद्दे व पंखे इत्यादि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे जनमानस को समस्या का सामना न करना पड़े।

(कार्यवाही- समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत, बागपत व विकास प्राधिकरण, बागपत)

4. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद, बागपत में प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला पर्यावरण समिति का गठन किया गया है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण से संबंधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कॉन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का सुरक्षित निस्तारण, तथा ई-वेस्ट प्रबंधन आदि से सम्बन्धित सूचनायें अंकित करने हेतु वेब पोर्टल www.upecp.in विकसित किया गया है, वेब पोर्टल पर प्रदूषण कारकों के नियंत्रण सम्बन्धी की जा रही कार्यवाहियों का विवरण माहवार अंकित किया जाना है। अतः आपको संज्ञानित किया जाता है कि जिला पर्यावरण समिति, बागपत से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रत्येक माह की दिनाँक 01 से 05 तक जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, बागपत व कार्यालय वन प्रभाग बागपत में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचनाओं को ससमय www.upecp.in पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

जिलाधिकारी/अध्यक्षा द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया की सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रत्येक माह की दिनाँक 01 से 05 तक उपलब्ध कराये। महोदया द्वारा समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्र में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेरों, C & D अपशिष्ट का निस्तारण करायें व सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने वालों पर आवश्यक कारवाही करें।

(कार्यवाही- नोडल अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत एंव क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ)

4. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार "एक जिला–एक वेटलैंड" की तर्ज पर प्रत्येक जनपद से एक प्रमुख वेटलैंड का चयन किया जाना है। वेटलैंड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण एवं स्थानीय जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त वेटलैंड विभिन्न जलीय जीवों, पक्षियों एवं वनस्पतियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। इसी क्रम में जनपद बागपत से शिकोहपुर वेटलैंड का चयन किया गया है।

जिलाधिकारी/अध्यक्षा द्वारा जिला वेट्लैन्ड समिति के सदस्यों को चयनित वेट्लैन्ड का निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया व निरीक्षण रिपोर्टें एक सप्ताह के भीतर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत को उपलब्ध करने को कहा।

(कार्यवाही- जिला कृषि अधिकारी, बागपत, जिला मत्स्य अधिकारी बागपत व अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग बागपत)

5. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06/11/2025 के अनुपालन में परियोजना प्रवर्तक के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि ₹4,63,563/- (चार लाख तिरेसठ हजार पांच सौ तिरसठ रुपये मात्र) को पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार कार्यों में उपयोग (Utilisation) किए जाने हेतु मा० अधिकरण के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) द्वारा जिला पर्यावरण समिति, बागपत के साथ परामर्श कर एक्शन प्लान तैयार किया जाना है।

उक्त के क्रम में सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ ने अवगत कराया कि परियोजना स्थल पर मै० स्मार्ट मार्ट स्टोर्स प्रा०लि० की खनन परियोजना जून 2024 में समाप्त हो चुकी है। परियोजना स्थल यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र में होने के कारण परियोजना स्थल पर कोई भी कार्य प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं पाया गया। ग्राम मवीकलां

से ग्राम अलीपुर के मध्य यमुना नदी के समानांतर तटबंध रोड के किनारे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वृक्षारोपण कराया जाना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। उक्त कार्य हेतु परियोजना स्थल के 05 कि0मी0 के परिक्षेत्र में तटबंध के किनारे ग्राम सुभानपुर के आसपास सार्वजनिक भूमि उपलब्ध पायी गयी है।

उक्त स्थल पर उपयुक्त प्रजाति का चयन/वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव तथा सुरक्षा के दृष्टिगत प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य आगामी मानसून सत्र में सामाजिक वानिकी प्रभाग, बागपत के माध्यम से किया जाना उचित होगा। उक्तानुसार प्रस्ताव जिला पर्यावरण समिति के समक्ष अनुमति / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

जिलाधिकारी/अध्यक्षा द्वारा कार्ययोजना को अनुमति प्रदान करते हुए, वन विभाग को आगामी मानसून सत्र प्रस्तावित स्थल पर पौधारोपण करने व उसका रखरखाव व सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

(कार्यवाही- वन विभाग, बागपत)

6. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वच्छता एवं पर्यावरणीय जागरूकता अभियान संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जनसामान्य में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इस प्रकार के अभियानों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी, जल स्रोतों की स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र के विस्तार में सहायता मिलती है। साथ ही, बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने, जनस्वास्थ्य में सुधार लाने तथा भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे अभियान अत्यंत आवश्यक हैं।

जिलाधिकारी/अध्यक्षा द्वारा जिला पर्यावरण समिति के समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्वच्छता एवं पर्यावरणीय जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए साफ-सफाई, वृक्षारोपण, प्लास्टिक उन्मूलन, जल संरक्षण एवं जन-जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त विभाग, जिला पर्यावरण समिति बागपत)

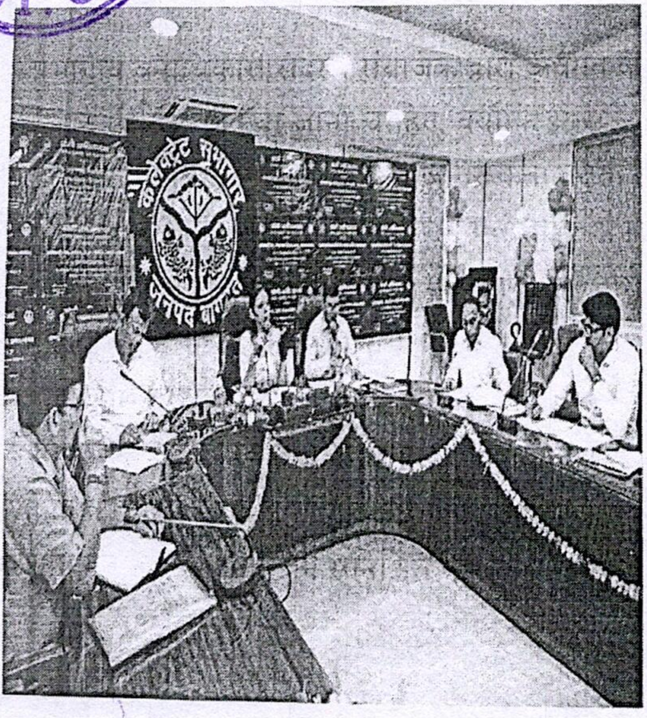

नमामि गंगे

(स) दिनांक 30.03.2026 को आयोजित "जिला गंगा समिति" बागपत की बैठक का कार्यवृत्त

(परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–310/307 – एफ0/एस0 एम0 सी0 जी0– यू0 पी0 /07 दिनांक 13.04.2022 से निर्गत निर्देशों के अनुसार)

क0सं0	कार्यवाही बिन्दु	वस्तु स्थिति/अध्यक्ष महोदय के निर्देश	अभ्युक्ति/कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
		Mandated Agenda	
1.	जिला गंगा प्लान	प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत/सदस्य संयोजक ने अवगत कराया है, कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के Authority Notification के अनुसार प्रति गंगा जनपद में जिला गंगा प्लान तैयार किया जाना है। जिलाधिकारी, महोदया बागपत ने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि आई.आई. पी. ए. के साथ समन्वय कर उनके अनुसार सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करायी जायें जिससें अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।	कार्यवाही– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/ कृषि विभाग बागपत /जिला पंचायतीराज अधिकारी, बागपत/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत/खनन अधिकारी, बागपत/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ/अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, खण्ड बडौत/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिक क्षेत्र, वन विभाग बागपत।
2.	ठोस कचरे को नदी में बहने से रोकना (Preventing Solid Waste Flowing into River)	जनपद में यमुना एवं उसकी सहायक नदिया हिण्डन एवं कृष्णी नदी में किसी स्रोत से ठोस अपशिष्ट के प्रवाह की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु जिला पंचायती राज बागपत से अपेक्षा की गयी इस सम्बन्ध में जिला पंचायती राज अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि हिण्डन नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतो में फिल्टर चैम्बर, शील्ट कैचर की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।	कार्यवाही– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जिला पंचायतीराज अधिकारी, जल निगम ग्रामीण एवं सिचाई विभाग
3.	माननीय एनजीटी केस संख्या O.A.200/2014 MC Mehta Vs UOI and Ors.	प्रभागीय वनाधिकारी, बागवत वन प्रभाग, बागपत/सदस्य संयोजक ने बताया की एनजीटी केस संख्या O.A.200/2014 MC Mehta Vs UOI and Ors. में पारित आदेश के सन्दर्भ में ई–मेल द्वारा एडवोकेट अंजली शर्मा द्वारा सूचना चाही गयी है। रिपोर्ट को ससमय राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करने के निर्देश दिए है। उक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि आख्या को जाँच एवं तैयार कर सबंधित को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये।	कार्यवाही–क्षेत्रीय अधिकारी,उत्त प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेर नगर पालिका क्षेत्र, बडौत बाग सिंचाई खण्ड बडौत, जल निग बागपत

क्र0सं0	कार्यवाही बिन्दु	वस्तु स्थिति/अध्यक्ष महोदय के निर्देश	अभ्युक्ति/कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
4.	एस.टी.पी. की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में।	जिलाधिकारी महोदया ने अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया कि बागपत कस्बे में संचालित एस.टी.पी. की समय-समय पर टीम गठित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	कार्यवाही- **अधिशासी अभियन्ता जल निगम, बागपत।**
5.	वर्षा जल संचय के सम्बन्ध	जिलाधिकारी, महोदया ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया, कि वर्षा जल संचयन के लिए आवश्यक कार्य किये जायें एवं जनजागरूकता अभियान चलाया जायें	कार्यवाही- लघु सिंचाई बागपत एवं **सभी कार्यदायी संस्था।**
6.	नगर पालिका क्षेत्र बडौत में एस.टी.पी. प्लान्ट के प्रस्ताव को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र बडौत द्वारा अवगत कराया गया कि बडौत शहर के एस.टी.पी. का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव का राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया जाये। जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।	कार्यवाही- **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बडौत।**
7.	जनजागरूक	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागपत/सदस्य संयोजक ने पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया कि वे राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की अपेक्षा के अनुरूप जनपद में स्थित नदियों के किनारे गंगा ग्राम समितियों के माध्यम से जन जागरूक अभियान चलाकर एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए घाटों पर नियमित रूप से साफ-सफाई कराने हेतु आयोजन किया जायें।	कार्यवाही- **जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र, बागपत समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बागपत**
8.	सोशल मीडिया ग्रुप पर कृत कार्यवाही का प्रसार	अवगत कराया गया, कि जनपद बागपत में नमामि गंगे परियोजना से सम्बन्धित समस्त आयोजित कार्यक्रमों की फोटो एवं विडियो सक्षिप्त सूचना के साथ 'डिस्ट्रिक्ट गंगा समिति' व्हाटसएप ग्रुप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रेषित करने हेतु जिलाधिकारी, महोदया द्वारा समिति के सदस्य विभागों को निर्देशित किया गया। इससे जन सामान्य तक इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके तथा जन सामान्य को जनपद की नदियों के पुर्नजीवन में योगदान हेतु प्रेरित किया जा सकता है।	कार्यवाही- **सूचना अधिकारी, बागपत।**
9.	जैवविविधता (Biodiver sity)	सभी विभागों एवं एनजीओ को भी "वेटलैंड" पर आमजन को जागरुक करने के लिए कहा जिससे ज्यादा से ज्यादा जनमानस में जैवविविधता के प्रति जागरूकता लाई जा सके।	कार्यवाही-**समस्त कार्यदायी विभाग जिला गंगा समिति, बागपत**

NOTARY U.K. GIRI Advocate Reg. No. 8388/05 GOVT. OF INDIA

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत।

पत्रांक 1765 /29–5 बागपत, दिनांकः 04/04/,2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदया, बागपत।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
3. समस्त सम्बन्धित अधिकारी/मा0 सदस्य, जिला वृक्षारापेण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति बागपत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्यवृत की अनुपालन आख्या कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

~~Appeal /OA NO.~~ MA No.14 of 2026 IN OA No. 1267 of 2024

In re:

KULDEEP DHAMA — Plaintiff /Appellants/ Petitioner/Complainant

VERSUS

STATE OF UP &N ORS. — Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Anuj Kumar Chaubey the above named Law officer do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 10 day of .04. 2026

Ac[cepted su]bject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate — Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25
BAR COUNCIL OF DELHI
2607299
पच्चीस रुपए TWENTYFIVE RUPEES